उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

पत्रांक संख्या–H 05947/C-5/159/O.A. no. 681/2023 दिनांक: 18.01.2024

To,

The Registrar General,
Principal Bench,
Hon'ble National Green Tribunal,
Copernicus Marg, New Delhi-110001

Sub: Corrected Response on behalf of respondent no.-4 Uttar Pradesh Pollution Control Board in compliance to the order dated 06.11.2023 passed by Hon'ble NGT, Principal Bench, New Delhi in O. A. No. 681 of 2023 (I.A. no. 800/2023) in reference Abhinay Kumar Rai V/s Bliss Delight & others.

Sir,

Please refer earlier letter reference no. H 05871/C-5/159/O.A. no. 681/2023 dated 16.01.2024 by which in compliance of the order dated 06.11.2023 passed by this Hon'ble National Green Tribunal in O. A. No. 681 of 2023 (I.A. no. 800/2023) in reference Abhinay Kumar Rai V/s Bliss Delight & others, the response on behalf of UPPCB is filed. In said response due to typographical error the O.A. no has been mentioned 681 of 2021 instead of 681 of 2023.

So please discard the said response and consider the corrected response on behalf of UPPCB in compliance of the order dated 06.11.2023 passed by this Hon'ble National Green Tribunal in O. A. No. 681 of 2023 (I.A. no. 800/2023) in reference Abhinay Kumar Rai V/s Bliss Delight & others which is hereby attached with a request to put up before Hon'ble National Green Tribunal for kind perusal and consideration.

Enclosure: As above.

Your's Sincerely

(Dr. Ram Karan)
Chief Environmental Officer,
Circle-5

Copy to:

1. Shri Arvind Kumar, Advocate for UPPCB.
2. Law Officer-I, UPPCB, Lucknow.
3. Regional Officer, UPPCB, Lucknow.

Chief Environmental Officer,
Circle-5

टी.सी.–12 वी., विभूति खण्ड,
गोमतीनगर, लखनऊ–226010
ई–मेल–info@uppcb.com
वेवसाइट -www.uppcb.com

TC-12-V, VibhutiKhand
Gomti Nagar, Lucknow-226010
e-mail: info@uppcb.com
Web site www.uppcb.com

Response on behalf of respondent no.-4 Uttar Pradesh Pollution Control Board in compliance to the order dated 06.11.2023 passed by Hon'ble NGT, Principal Bench, New Delhi in O. A. No. 681 of 2023 (I.A. no. 800/2023) in reference Abhinay Kumar Rai V/s Bliss Delight & others: -

The Hon'ble NGT, Principal Bench, New Delhi vide its order dated 06.11.2023 in O. A. No. 681 of 2023 (I.A. no. 800/2023) in the matter of Abhinay Kumar Rai V/s Bliss Delight & others has passed the directions. The relevant excerpt of the order is as below:

".....2. Submission of Counsel for the applicant is that as per the plan approved by Lucknow Development Authority built-up area of the project is 37536 sqm, therefore, in terms of the EIA Notification 2006 and EP Act, 1986 prior environmental clearance is required because the construction project is in excess of 20,000 sqm of built-up area.

3. The stand of the Counsel for the applicant, during the course of the argument, is that it is not a township project but it is a construction project, therefore, necessary environmental clearance and CTE are needed. She has also submitted that construction is in progress without any clearance.

4. Issue notice to the Respondents.

5. The applicant is directed to serve the Respondents and file affidavit of service....."

1. That in pursuance to the order dated 06.11.2023 the officials of Regional Office, UP Pollution Control Board, Lucknow has inspected the site of M/s Bliss Delight in question on 26.12.2023. During the inspection it is found that the M/s Bliss Delight, Block 1,2,3 & 4 GH-2, Sushant Golf City Ansal Town, Lucknow (here after referred as 'unit') it was found that unit has already started construction activities without taking prior permission as Consent to Establish and Consent to

....2

Operate under the provisions of The Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 and The Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981. The copy of inspection report dated 26.12.2023 along with photographs is being attached herewith as **Annexure-1** to this response.

2. That in pursuance to the above inspection report, U.P. Pollution Control Board vide letter dated 15.01.2024 has issued a Show Cause notice under Section 31-A of The Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981, along with the imposition of the Environmental Compensation as 5% of the total project cost in compliance of the Hon'ble Supreme Court, New Delhi order dated 10.08.2018 in Civil Appeal no. 10854/2016 in the matter of M/s Goyal Ganga Developers India Pvt. Ltd. versus Union of India through Secretary, MoEF & CC and Others for start of construction activities by the Unit in question without obtaining prior permission as Consent to Establish and Consent to Operate under the provisions of The Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 and The Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981. The copy of show cause notice dated 15.01.2024 is being annexed herewith as **Annexure No.-2** to this response.

The above response of the Respondent No.-4, Uttar Pradesh Pollution Control Board, is placed before this Hon'ble National Green Tribunal for perusal and kind consideration.

(Dr. Ram Karan)
Chief Environmental Officer,
Circle-5

क्षेत्रीय कार्यालय,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
लखनऊ।

Annexure-1

आवासीय परियोजना मैसर्स ब्लिस डिलाइट, ब्लाक–1, 2, 3 एण्ड 4, जी0एच0–2, सुशान्त गोल्फ सिटी, लखनऊ की निरीक्षण आख्याः–

उपरोक्त आवासीय परियोजना का मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित वाद संख्या–ओ0ए0 न0–681/2023 में पारित आदेश दिनांक 06/11/2023 के अनुपालन में आवासीय परियोजना मैसर्स ब्लिस डिलाइट, ब्लाक–1, 2, 3 एण्ड 4, जी0एच0–2, सुशान्त गोल्फ सिटी, लखनऊ के सम्बन्ध में आख्या निम्नवत् हैः–

1. उक्त आवासीय परियोजना मैसर्स आर0आर0 सिविलटेक प्रा0लि0, ग्राउण्ड फ्लोर राजारामकुमार प्लाजा, 75, हजरतगंज, लखनऊ द्वारा मैसर्स ब्लिस डिलाइट, ब्लाक–1, 2, 3 एण्ड 4, जी0एच0–2, सुशान्त गोल्फ सिटी, लखनऊ में निर्माण कार्य किया जा रहा है, का निरीक्षण दिनांक 26/12/2023 को किया गया, निरीक्षण के समय स्थल का अक्षांश व देशान्तर 26.778818, 81.017059 नोट किया गया। निरीक्षण के समय परियोजना का निर्माण कार्य बिना राज्य बोर्ड से स्थापनार्थ सहमति एवं सहमति जल/वायु प्राप्त किये ही किया जाता पाया गया।
2. निरीक्षण के समय उपस्थित इकाई प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि परियोजना का प्लाट एरिया 16138 वर्गमीटर तथा कुल बिल्टअप एरिया 37536.91 वर्गमीटर है।
3. परियोजना प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त स्थल पर तीन टावर का निर्माण किया जाना है। निरीक्षण के समय दो टावर का सिविल कार्य लगभग 60 प्रतिशत पूर्ण पाया गया तथा तीसरे टावर का निर्माण अभी प्रारम्भ नही किया गया है। इकाई प्रतिनिधि द्वारा निर्माण कार्य प्रारम्भ किये जाने के सम्बन्ध में कोई जानकारी नही दी गयी ।
4. उक्त स्थलों पर निर्माण में प्रयुक्त सामग्री जैसे गिट्टी, मौरंग एवं बालू एवं खुदी हुई मिट्टी खुले में अव्यवस्थित रूप से एकत्रित पायी गयी एवं निर्माणाधीन स्थल के चारों ओर ग्रीन जाली की पूर्ण व्यवस्था स्थापित नही पायी गयी।
5. निरीक्षण के समय उक्त स्थल पर जल छिड़काव की भी व्यवस्था स्थापित नही पायी गयी। जिससे वाहनों के आवागमन से अत्यधिक मात्रा में धूल के कण उड़ते पाये गये।
6. निर्माण सामग्री तथा निर्माण कार्य में परिवहन हेतु प्रयुक्त किये जाने वाले वाहन पूर्णतया कवर्ड नहीं पाये।
7. उक्त आवासीय परियोजना द्वारा घरेलू उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु सीवर लाइन/एस0टी0पी0 के सम्बन्ध में कोई जानकारी नही दी गयी है और न ही एस0टी0पी0 के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव दिया गया है।
8. उक्त आवासीय परियोजना द्वारा SEIAA से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किये जाने सम्बन्धी सूचना इस कार्यालय में प्रेषित नही की गयी है।
9. उक्त इकाई द्वारा राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974, वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के प्राविधानों के अन्तर्गत स्थापनार्थ/संचलानार्थ सहमति प्राप्त नही की गयी है, जोकि उक्त अधिनियमों का उल्लघंन है।
10. उक्त इकाई को सहमति प्राप्त किये जाने हेतु इस कार्यालय के पत्र संख्या–1648/सहमति–3378ए/2023 दिनांक 21/10/2023 एवं पत्र संख्या–2037/सहमति–3378ए/2023 दिनांक 15/12/2023 के माध्यम से पत्र प्रेषित किया गया था, परन्तु इकाई द्वारा अद्यतन तक प्रतिउत्तर इस कार्यालय में प्रेषित नही किया गया है।
11. मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित सिविल अपील संख्या–10854/2016 मैसर्स गोयल गंगा डेवलपर्स इण्डिया प्रा0लि0 बनाम यूनियन आफ इण्डिया थ्रू सेक्रेटरी मिनिस्ट्री आफ इन्वायरोमेण्ट एण्ड फारेस्ट एण्ड अदर्स में पारित आदेश दिनांक 10/08/2018 के मुख्य अंश निम्नवत् हैः–
    "…..This Court has in a number of cases awarded 5% of the project cost as demages. This is the general law. However, in the present case we feel that damages should be higher in keeping in view the totally intransignent and unapologetic behavior of the project proponent."…….

अतः उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित सिविल अपील संख्या–10854/2016 मैसर्स गोयल गंगा डेवलपर्स इण्डिया प्रा0लि0 बनाम यूनियन आफ इण्डिया थ्रू सेक्रेटरी मिनिस्ट्री आफ इन्वायरोमेण्ट एण्ड फारेस्ट एण्ड अदर्स में पारित आदेश दिनांक 10/08/2018 के दृष्टिगत प्रोजेक्ट कान्स्ट्रक्शन का 05 प्रतिशत की क्षतिपूर्ति इकाई मैसर्स ब्लिस डिलाइट, ब्लाक–1, 2, 3 एवं 4, जी0एच0–2, सुशान्त गोल्फ सिटी, लखनऊ के विरूद्ध अधिरोपित किये जाने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने की संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

11/1/24.

(निमेष दुबे)
प्रयोगशाला सहायक

(रज्जन त्रिपाठी)
वैज्ञानिक सहायक

11/01/24

(विनोद कुमार)
सहायक पर्यावरण अभियन्ता

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय,

11/01/24

CE 3-5, Sir

Photographs taken during inspection of M/S Bliss Delight, Block-1,2,3 & 4, GH-2, Sushant Golf City, Lucknowon dated 26-12-2023.

Photo 1:

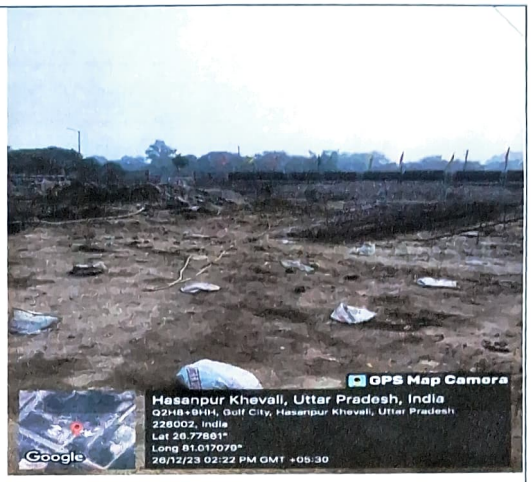

Photo 2 :

Photo 3:

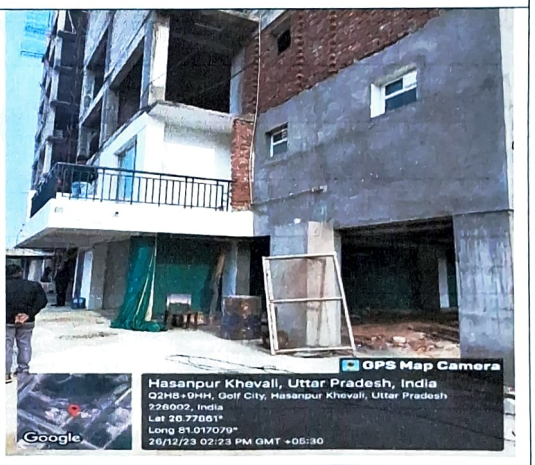

Photo 4:

Photo 5:	**Photo 6:**

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Annexure-2

पत्रांक संख्या–H05763 /सी–5/159/OA No 681/24 दिनांक 15/01/24
पंजीकृत

सेवा में,

मैसर्स ब्लिस डिलाइट,
ब्लाक–1, 2, 3 एवं 4, जी0एच0–02, सुशान्त गोल्फ सिटी,
लखनऊ। 9838628505

यह कि मैसर्स ब्लिस डिलाइट, ब्लाक–1, 2, 3 एवं 4, जी0एच0–02, सुशान्त गोल्फ सिटी, लखनऊ में आवासीय परियोजना विकसित की जा रही है तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है, जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा।

यह कि मा0 एन.जी.टी., नई दिल्ली में योजित वाद संख्या–ओ0ए0 नं0–681/2023 में पारित आदेश दिनांक 06.11.2023 के अनुपालन में आवासीय परियोजना मैसर्स ब्लिस डिलाइट, ब्लाक–1, 2, 3 एवं 4, जी0एच0–02, सुशान्त गोल्फ सिटी, लखनऊ का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक 26.12.2023 को किया गया। निरीक्षण आख्यानुसार उपस्थित परियोजना प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि परियोजना का प्लाट एरिया 16138 वर्गमीटर तथा कुल बिल्टअप एरिया 37536.91 वर्गमीटर है, जिसका अंक्षाश व देशान्तर 26.778818, 81.017059 है। उक्त स्थल पर तीन टावर का निर्माण किया जाना है, जिसमें 02 टावर का सिविल कार्य लगभग 60 प्रतिशत पूर्ण पाया गया तथा तीसरे टावर का निर्माण अभी प्रारम्भ नही किया गया है। निरीक्षण के समय उक्त स्थलों पर निर्माण में प्रयुक्त सामग्री जैसे गिट्टी, मौरंग एवं बालू तथा खुदी हुई मिट्टी खुले में अव्यस्थित रूप से एकत्रित पायी गयी एवं निर्माणाधीन स्थल के चारों ओर ग्रीन जाली की पूर्ण व्यवस्था स्थापित नही पायी गयी। निरीक्षण के समय उक्त स्थल पर जल छिड़काव की भी व्यवस्था स्थापित नही पायी गयी, जिससे वाहनों के आवागमन से अत्यधिक मात्रा में धूल के कण उड़ते पाये गये। निर्माण सामग्री तथा निर्माण कार्य में परिवहन हेतु प्रयुक्त किये जाने वाले वाहन पूर्णतया कवर्ड नही पाये गये। इकाई द्वारा पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त किये जाने संबंधी सूचना नही प्रेषित की गयी है।

यह कि आख्यानुसार परियोजना द्वारा घरेलू उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु सीवर लाइन/एस0टी0पी0 स्थापित नही किया गया है। इकाई द्वारा राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अन्तर्गत सहमति (जल/वायु) प्राप्त नही की गयी है, जोकि उक्त अधिनियमों का उल्लंघन है। इकाई को सहमति (जल एवं वायु) आवेदन किये जाने हेतु क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के पत्र संख्या–1648/सहमति–3378ए/2023 दिनांक 21.10.2023 एवं पत्र संख्या–2037/सहमति–3378ए /2023 दिनांक 15.12.2023 के माध्यम से नोटिस प्रेषित किया गया है, परन्तु इकाई द्वारा अपना प्रतिउत्तर प्रेषित नही किया गया है, जोकि पर्यावरणीय अधिनियम में वर्णित प्राविधानों का उल्लंघन दर्शाता है।

यह कि मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित सिविल अपील संख्या–10854/2016 मैसर्स गोयल गंगा डेवलपर्स इण्डिया प्रा0लि0 बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया थ्रू सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरोमेण्ट एण्ड फारेस्ट एण्ड अदर्स में पारित आदेश दिनांक 10.08.2018 के मुख्य अंश निम्नवत् हैः–

"57.....This court has in a number of cases awarded 5% of the project cost as damages. This is the general law. However, in the present case we feel that damages should be higher keeping in view the totally intransigent and unapologetic behaviour of the project proponent....."

उक्त के दृष्टिगत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के पत्रांक–2199/सहमति– 3378ए/23 दिनांक 27.12.2023 एवं द्वारा पत्रांक–2196/सहमति– 3378ए/2024 दिनांक 11.01.2024 द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित सिविल अपील संख्या–10854/2016 मैसर्स गोयल गंगा डेवलपर्स इण्डिया प्रा0लि0 बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया थ्रू सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरोमेण्ट एण्ड फारेस्ट एण्ड अदर्स में पारित आदेश दिनांक 10.08.2018 के अनुक्रम में इकाई के विरूद्ध परियोजना की कुल लागत का 05 प्रतिशत की धनराशि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने की संस्तुति की गयी है।

...2

टी.सी.–12 वी., विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ–226010
ई–मेल–info@uppcb.com
वेव साइट -www.uppcb.com

TC-12-V, Vibhuti Khand
Gomti Nagar, Lucknow-226010
e-mail: info@uppcb.com
Web site www.uppcb.com

अतः उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों के दृष्टिगत जन स्वास्थ्य के हित में जन साधारण को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने हेतु सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31'ए' के अन्तर्गत इकाई मैसर्स ब्लिस डिलाइट, ब्लाक–1, 2, 3 एवं 4, जी0एच0–02, सुशान्त गोल्फ सिटी, लखनऊ के विरूद्ध निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है–

1. यह कि क्यों न मैसर्स ब्लिस डिलाइट, ब्लाक–1, 2, 3 एवं 4, जी0एच0–02, सुशान्त गोल्फ सिटी, लखनऊ को मिलने वाली बिजली, पानी तथा अन्य सुविधाओं को तुरन्त से बन्द कर दिया जाए।
2. यह कि क्यों न मैसर्स ब्लिस डिलाइट, ब्लाक–1, 2, 3 एवं 4, जी0एच0–02, सुशान्त गोल्फ सिटी, लखनऊ के निदेशकगणों के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत अभियोजनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जाये।

उक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट करें कि क्यों न मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के अदेशों के अनुपालन में प्रश्नगत परियोजना मैसर्स ब्लिस डिलाइट, ब्लाक–1, 2, 3 एवं 4, जी0एच0–02, सुशान्त गोल्फ सिटी, लखनऊ के विरूद्ध परियोजना की कुल लागत का 05 प्रतिशत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाये।

उपरोक्त के संबंध में अपना स्पष्टीकरण पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को प्रेषित करें, अन्यथा निर्धारित अवधि में संतोष जनक उत्तर प्राप्त न होने की दशा में प्रश्नगत परियोजना के विरूद्ध उपरोक्त वर्णित निर्देशों की पुष्टि कर दी जायेगी।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत

भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,वृत्त–5

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. जिलाधिकारी, लखनऊ।
2. उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त परियोजना की कुल लागत का विवरण उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे कि उक्त परियोजना के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की कार्यवाही की जा सके।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी उद्योग को प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,वृत्त–5